भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 66

सोमवार, 22 जुलाई, 2024 / 31 आषाढ़, 1946 (शक)

भारत में मजदूर की मृत्यु और दुर्घटनाएं

66. कुमारी सुधा आर.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में क्षेत्र-वार और वर्ष-वार और तमिलनाडु में जिला-वार कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है;

(ख) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में क्षेत्र-वार और वर्ष-वार और तमिलनाडु में जिला-वार कितने मजदूर दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में मजदूरों की मृत्यु और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इससे देश में मजदूरों की मृत्यु और दुर्घटनाओं में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत कारखानों और खानों में तमिलनाडु सहित देश में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं से पीड़ित श्रमिकों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्रमश: अनुबंध I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया है जिनमें क्रमशः कारखानों और खानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का उपबंध किया गया है। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में मुख्य कारखाना निरीक्षकों/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों (डीआईएसएच) के माध्यम से किया जाता है। सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कारखाने के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का प्रवर्तन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं में कमी आई है और कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार हुआ है।

**

अनुबंध-I

'भारत में मजदूर की मृत्यु और दुर्घटनाएं' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित देश में कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक चोटों से पीड़ित श्रमिकों की संख्या का विवरण

वर्ष	घातक	गैर-घातक
2018	1154	4528
2019	1127	3927
2020	1050	2832
2021	988	2803
2022	1017	2714

डेटा स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े। जिला-वार आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

अनुबंध-II

'भारत में मजदूर की मृत्यु और दुर्घटनाएं' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2019 से 2023 के दौरान तमिलनाडु सहित देश में संगठित क्षेत्र की खानों में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं से पीड़ित मजदूरों का विवरण

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	गंभीर/ गैर-घातक दुर्घाटनाओं की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2019	84	94	251	258
2020	73	80	139	143
2021	64	74	229	234
2022	42	51	225	232
2023	49	53	151	159

डाटा स्त्रोत: खान प्रबंधन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को सूचित आंकड़े।

*****